

राजस्थान सरकार  
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएँ  
आदेश

क्रमांक:- F 7(1) Training/ ICDS/15

147105

जयपुर दिनांक

2.11.16

आंगनवाडी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के पुनश्चर्या प्रशिक्षण हेतु नामांकन आदेश जारी कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे नामांकित संख्या में संबंधित आंगनवाडी प्रशिक्षण केन्द्र पर दिनांक 15.11.16 से 11.12.16 तक पुनश्चर्या प्रशिक्षण हेतु आंगनवाडी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं को भिजवा कर सूचित करें। इस संबंध में निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें :-

1. गर्भवती एवं 6 माह के बच्चे की माता को प्रशिक्षण में नामांकित नहीं किया जावे।
2. प्रशिक्षणार्थी कार्यकर्ता/सहायिकाओं के साथ 6 माह से 3 वर्ष तक का बच्चा साथ होगा तो प्रति बच्चा प्रतिदिन रु. 20/- आवास भोजन हेतु संस्था में जमा कराने होंगे। यदि साथ में महिला अटेन्डेन्ट हो तो रु. 150/- प्रति व्यक्ति के हिसाब से संस्था में जमा कराने होंगे। पुरुष अटेन्डेन्ट संस्था में नहीं रह सकेंगे।
3. उन्हीं आंगनवाडी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं को पुनश्चर्या प्रशिक्षण में भेजें जिन्हें कार्य प्रशिक्षण प्राप्त किये दो वर्ष से अधिक समय हो गया हो या जिसे पूर्व पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्राप्त किये दो वर्ष हो चुके हों। सहायिकाओं के कार्य प्रशिक्षण में ऐसी आंगनवाडी सहायिकाओं को प्रशिक्षण में भेजे जिन्होंने पूर्व में कार्य प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया हो।
4. आंगनवाडी कार्यकर्ताओं/सहायिका को यात्रा भत्ता (टीए) का भुगतान आंगनवाडी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र पर ही किया जावेगा।
5. आंगनवाडी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं के आवास एवं भोजन की व्यवस्था आंगनवाडी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र पर ही उपलब्ध होगी।
6. कोई भी बाल विकास परियोजना अधिकारी अपने स्तर पर किसी भी कार्यकर्ता/सहायिका को प्रशिक्षण में जाने से रोके नहीं।
7. सभी आंगनवाडी कार्यकर्ता एवं सहायिका अपना परिचय-पत्र/पहचान पत्र साथ लेकर जावें तथा प्रशिक्षण में सम्मिलित नहीं होने पर उनको हटाने के लिये कार्यवाही की जावेगी।
8. संबंधित सीडीपीओ को निर्देश दिये जाते हैं कि वे प्रशिक्षण के बाद आंगनवाडी केन्द्रों का निरीक्षण कर उनके कार्य से उनके प्रशिक्षण की तुलना कर समीक्षा करें।

उप निदेशक (प्रशिक्षण)  
समेकित बाल विकास सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:- F 7(1) Training/ ICDS/15

147106-135

जयपुर दिनांक

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्राचार्य, आंगनवाडी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र,.....
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् .....
3. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग.....
4. लेखा प्रशाखा, मुख्यालय, जयपुर
5. (एसीपी) उप निदेशक, को भेजकर लेख है कि कम्प्यूटर पर अपलोड कर विभाग की वेबसाईट पर इसे डालने का श्रम करें।

उप निदेशक (प्रशिक्षण)  
समेकित बाल विकास सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर।

